10 अध्याय

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य

10.1 प्रस्तावना

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता देना जारी रखा। इस अध्याय में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता की स्थिति पर चर्चा की गई है।

10.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

विश्व स्वास्थ्य संगठन उन प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में से एक है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। डब्ल्यूएचओ के तहत कार्यकलापों का वित्तपोषण दो स्रोतों के माध्यम से होता है:. कंट्री बजट, जो सदस्य देशों द्वारा दिए गए अंशदान से तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधन (क) स्वास्थ्य के सामान्य या विशिष्ट आयामों के लिए विभिन्न स्रोतों से दान से और (ख) अन्य सदस्य राष्ट्रों या संस्थानों/एजेंसियों द्वारा डब्ल्यूएचओ के माध्यम से देशों को भेजी गई निधियों से। दक्षिण.पूर्व एशियाई क्षेत्र के भीतर, भारत कंट्री बजट का सबसे बड़ा लाभग्राही है। बजट प्रति कलैण्डर वर्ष वार द्विवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर– सचिव–स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, क्षेत्रीय निदेशक– विश्व स्वास्थ्य संगठन (दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय) और प्रबन्ध निदेशक एनबीसीसी

10.2.1 डब्ल्यूएचओ के कार्य

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कार्यकारी बोर्ड के सत्रः कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य देश हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा चुना जाता है। सदस्य देशों को तीन वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्यों में स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को लागू करना, उसे सलाह देना और उसके कार्यों में सहायता करना है। बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होती है, मुख्य बैठक सामान्यतः जनवरी में होती है और दूसरी लघु बैठक मई में स्वास्थ्य सभा के आयोजन के तुरंत बाद होती है। भारत वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नहीं है।

डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का 144वां सत्र दिनांक 24 जनवरी से 1 फरवरी, 2019 के दौरान जिनेवा में आयोजित किया गया था। भारत से अपर सचिव (स्वास्थ्य), संयुक्त सचिव (अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य) और निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य) ने सत्र में प्रतिभागिता की। जिनेवा स्थित यूएन एजेंसियों में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता दी गई।

कार्यकारी बोर्ड के सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई। भारत ने चर्चाओं में सक्रियता से भाग लिया और भारत के लिए अधिक महत्व वाली कार्यसूची की मदों पर अपना दृष्टिकोण/चिंताओं को दृढ़ता से रखा, जैसे कि औषधियों की पहुँच, घटिया– नकली औषधियां, संक्रामक रोग, गैर. संक्रामक रोग आदि।

डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का 143वां सत्र दिनांक 28–29 मई, 2018 के दौरान जिनेवा में आयोजित किया गया था और इसमें जिनेवा स्थित यूएन एजेंसियों में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ii) विश्व स्वास्थ्य सभाः विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और बैठक में ऐसे विविध मसौदा प्रस्तावों/निर्णयों पर विमर्श किया जाता है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का उच्चतम नीति निर्माता निकाय है, जहाँ सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उच्च स्तरीय शिष्टमंडलों द्वारा किया जाता है।

डब्ल्यूएचए, जो डब्ल्यूएचओ का उच्चतम नीति निर्माता निकाय है, का 71वां सत्र दिनांक 20–26 मई, 2018 के दौरान जिनेवा में आयोजित किया गया।

सभा के कार्य सत्र दो समितियों, अर्थात समिति 'क' और समिति 'ख' में आयोजित किए गए थे। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में भारत के स्थायी मिशन के साथ घनिष्ठ समन्वयन के साथ भारत ने चर्चाओं में सक्रियता से भाग लिया और एक रचनात्मक भावी परिदृश्य के लिए देश की स्थितियों के साथ.साथ अपनी चिंताओं एवं सुझावों को उजागर करते हुए समिति 'क' और समिति 'ख' दोनों के समक्ष महत्वपूर्ण कार्यसूची मदों पर सकेंद्रित पहलें कीं।

डब्ल्यूएचए के 71वें सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्यसूचियों पर चर्चाएं की गईं। भारत ने चर्चाओं में सक्रियता से प्रतिभागिता की और कार्यसूची के उन मदों पर अपने विचार/चिंताओं को मजबूती से उठाया, जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण थे।

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय, अपर सचिव(स्वास्थ्य), संबंधित कार्यक्रमों के तीन संयुक्त सचिवों, प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)– आंध्र प्रदेश सरकार, प्रबन्ध निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन– छत्तीसगढ़ सरकार, अवर सचिव (आईएच) तथा अनुभाग अधिकारी (आईएच) ने सत्र में भाग लिया। जिनेवा में उन्हें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लिए भारत के स्थायी मिशन के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।

(iii) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) के लिए

डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय समिति की बैठकः डब्ल्यूएचओ. एसईएआर देशों की क्षेत्रीय समिति (आरसी) की बैठक प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। यह समिति क्षेत्र में स्वास्थ्य मुद्दों पर की गई प्रगति की समीक्षा करने तथा भावी कार्रवाई हेतु रोडमैप तय करने के लिए एक फोरम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण–पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति का 71वां सत्र 3–7 सितंबर, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सत्र में क्षेत्र के सभी 11 सदस्य देशों संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य एजेंसियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंध रकने वाले गैर सरकारी संगटनों के प्रतिनिधियों तथा प्रेक्षकों ने भाग लिया। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सचिव (स्वास्थ्य), संबंधित कार्यक्रम के चार अपर सचिवों, संबंधित कार्यक्रम के छः संयुक्त सचिवों तथा आर्थिक सलाहकार के साथ सत्र में भाग लिया। इस सत्र के दौरान कार्यसूची की जिन कुछ महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई वे हैं– मलेरियाः घोषणा से कार्रवाई तक, डेंगू वेक्टर नियंत्रण को संघन बनाना, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), व्यापक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी), कार्यक्रम बजट 2018–19ः कार्यान्वयन, कार्यक्रम बजट 2020–21, स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रियात्म कार्रवाई हेतु एसईए क्षेत्र में ईएमटी को सुदृढ़ बनाना, नवजातों बच्चों तथा माताओं की उत्तरजीविता में क्षेत्रीय प्रगतिः वैश्विक कार्यनीति लक्ष्यों को प्राप्त करने की और बढ़ना, दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में भौतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, शासी निकाय संबंधी मामले, प्रबंधन और शासी मामले इत्यादि। उपर्युक्त के अलावा, इस वर्ष भारत द्वारा एक मंत्रालयीन गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था जिसका विषय था "क्षेत्र तथा उससे परे आवश्यक औषधियों की पहुँच में सुधार लाना"।

उपर्युक्त के अलावा, उक्त बैठक में सुश्री पूनम क्षेत्रपाल सिंह को लगातार दूसरी अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक चुना गया।

(iv) **राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक (सीएचएमएम):**

राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक (सीएचएमएम) समस्त राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वार्षिक बैठक है। इस बैठक में पिछले वर्ष के कार्यकलाप और घटनाक्रमों की समीक्षा की जाती है और देशों को अपने राष्ट्रमंडल भागीदारों एवं मित्रवत देशों के ध्यानाकर्षण में स्वास्थ्य की प्रासंगिकता के मुद्दों को लाने हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। प्रत्येक सीएचएमएम एक मंत्री स्तरीय वक्तव्य उपलब्ध कराती है, जिसमें आगामी बैठक के लिए विषय निर्धारित करने सहित आगामी वर्ष के लिए चर्चा एवं प्राथमिकताओं का वर्णन किया जाता है। सीएचएमएम को राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य सलाकार परिषद् (सीएसीएच) द्वारा सहायता दी जाती है और इसकी बैठक एक वर्ष में दो बार होती है।

20 मई, 2018 को जिनेवा में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बैठक में भाग लिया था।

10.2.2 डब्ल्यूएचओ को अंशदान

डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश के रूप में, भारत प्रत्येक द्विवर्ष के लिए डब्ल्यूएचओ को नियमित रूप से अंशदान देता है। डब्ल्यूएचओ की द्विवार्षिकी उसके आयोजन के पहले वर्ष के जनवरी माह में शुरू होती है और द्विवार्षिकी वर्ष के दूसरे वर्ष के दिसंबर माह में समाप्त होती है।

भारत सराकरा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को भुगतानव किए जाने वाले आकलित अंशदान का निर्णय आकलन के संयुक्त राष्ट्र मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2018 के लिए भारत का आकलित अंशदान क्रमशः 17,63,035

अमेरिकी डॉलर + सीएचएफ 17, 55,983 तथा 55,000 अमेरिकी डॉलर का स्वैच्छिक अंशदान और डब्ल्यूएचओ यूनिसैफ/यूएनडीपी/विश्व बैंक के उष्ण कटीबंधीय रोग अनुसंधान (टीडीआर) में अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम तता यूएनडीपी/यूएनएफपीओ/डब्ल्यूएचओ/विश्व बैंक के मानव पुनरुत्पादक (एचआरपी) में अनुसंधान प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर है।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी), लिऑन, फ्रांस को वर्ष 2018 की सदस्यता शुल्क के रूप में 7,42,441 यूरो जमा किए थे।

10.2.3 बैठकें और कार्यशालाएं

ब्रिक्स विश्व के पांच तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है। विश्व जनसंख्या में ब्रिक्स संघ का 43 प्रतिशत तथा विश्व जीडीपी के 30 प्रतिशत का योगदान है।

ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 8वीं बैठक

ब्रिक्स राष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्व फैडरेटिव रिपब्लिकन ऑफ ब्राजील, द रशियन फेडरेशन, भारत, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तथा रिपब्लिक ऑफ साऊथ अफ्रीका करते हैं, की 18–20 जुलाई, 2018 के दौरान डरबन, दक्षिण अफ्रीका में बैठक हुई थी।

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा अपर सचिव (स्वास्थ्य) ने बैठक में भाग लिया था।

18 जुलाई, 2018 को स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से पूर्व वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें ब्रिक्स राष्ट्रों में टीबी को समाप्त करने तथा टीबी के उन्मूलन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के लिए की जाने वाली तैयारियों, ब्रिक्स टीबी अनुसंधान नेटवर्क पहल, ब्रिक्स राष्ट्रों में यूएचसी, औषधियों तथी टीकों को हासिल करने, नई औषधियों के बारे में औषधि खोज तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के (2005) कार्यान्वयन, 2015 के पश्चात् के विकास लक्ष्यों, गैर–संचारी रोगों, कैंसर के उपचार के बारे में कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।

ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों ने ब्रिक्स नेताओं द्वारा स्वास्थ्य पर नई कटिबद्धता की सराहना की, जैसा कि अक्तूबर 2016 की गोवा घोषणा में व्यक्त किया गया है। बैठक में संक्रामक रोगों, गैर.संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों, स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधित एसडीजी जैसे विभिन्न ज्वलंत स्वास्थ्य मुद्दों पर ब्रिक्स सहयोगात्मक परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

मंत्रियों ने ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 8वीं बैठक की सफलतापूर्वक मेज़बानी के लिए दक्षिण अफ्रीका का धन्यवाद किया।

10.3 विमानपत्तन/पत्तन स्वास्थ्य संगठन और विमान पत्तन एवं सीमा संगरोध केन्द्र

परिचयः

विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, पत्तन संगठन तथा वायुपत्तन एवं सीमा संगरोध केन्द्र (एपीएचओ/पीएचओ/एबीक्यूसी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं। वर्तमान में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत 11 पीएचओ और 11 एपीएचओ सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाइअड्डों पर स्थगत है तथा 3 सीमा संगरोध केन्द्र स्थापित हैं।

मौजूदा पीओई की सूची
(एपीएचओ/पीएचओ/सीमा.पारगमन स्वास्थ्य एकक)

एपीएचओ का नाम	पीएचओ का नाम	सीमापारगमन वाली भूमि का नाम
1. चेन्नई	1. मुंबई	1. अटारी अमृतसर
2. तिरुचिरापल्ली	2. कोलकाता	2. अगरतला
3. बैंगलोर	3. चेन्नई	3. पेट्रापोल
4. हैदराबाद	4. कांडला	
5. कोचीन	5. जेएनपीटी, शेवा	
6. अहमदाबाद	6. कोचीन	
7. त्रिवेंद्रम	7. विशाखापत्तनम	
8. दिल्ली	8. मर्मागाओ	
9. कोलकाता	9. तूतीकोरिन	
10. मुंबई	10. न्यू मंगलौर पोर्ट	
11. कालीकट	11. पारादीप	

ये सांविधिक संगठन हैं, जो क्रमशः भारतीय विमानपत्तन (जन स्वास्थ्य) नियम, 1954 और पत्तन स्वास्थ्य नियम, 1955 में निर्दिष्ट अपने विनियामक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत ने डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए, इन विनियमनों को कार्यान्वित करना हमारे लिए अनिवार्य है। तद्नुसार, भारतीय विमानपत्तन जन स्वास्थ्य नियमों तथा भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमनों के अनुरूप रूपरेखा दी गई है।

नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, पत्तनों और सीमा पारगमन की स्थापना प्रक्रियाधीन

विमानपत्तन का नाम	पारगमन भूमि
1. अमृतसर	1. रक्सौल (बिहार)
2. लखनऊ	2. जोगबनी (बिहार)
3. कोयम्बटूर	3. डावकी (मेघालय)
4. वाराणसी	4. मोरे (मणिपुर)
5. गोवा	
6. जयपुर	
7. नागपुर	
8. पुणे	
9. श्रीनगर	
10. गया	
11. पोर्ट ब्लेयर	
12. गुवाहाटी	
13. बागडोगरा	
14. पटना	
15. मैंगलोर	
16. इम्फाल	
17. भुवनेश्वर	
18. तिरुपति	

उद्देश्यः

एपीएचओ/पीएचओ का मुख्य उद्देश्य विश्व के यातायात में न्यूनतम व्यवरोध के साथ एक देश से दूसरे में महामारी के संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना है। इन संगठनों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं . पीएचईआईसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच करना; संगरोध, मृतक शवों को जन स्वास्थ्य स्वीकृति प्रदान करना, विमानपत्तन स्वच्छता का पर्यवेक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का टीकाकरण, वेक्टर नियंत्रण, आदि। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर पोत स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करना एक और प्रमुख जिम्मेदारी है।

डब्ल्यूएचओ ने आईएचआर के तहत पीत ज्वर प्रभावित देशों की एक सूची अधिसूचित की है, जिसके अनुसार इन अधिसूचित स्थानिक देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों के पास वैध पीत ज्वर टीकाकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जिन यात्रियों के पास उक्त प्रमाण पत्र नहीं होता है उन्हें अधिकतम छह दिनों की अवधि के लिए संगरोध किया जाता है। बदलते वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में मौजूदा आईएचआर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (आईएचआर 2005) द्वारा संशोधित किया गया है और ये नए आईएचआर जून 2007 से प्रभावी हो चुके हैं। आईएचआर के अनुरूप हमारे अपने ही नियमों को संशोधित करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, और अंततः, संशोधित मसौदा नियम विधि मंत्रालय के अनुमोदन के अंतिम चरण पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जनहित स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) से निपटने हेतु सभी प्रवेश मार्गों (पीओई) पर कोर क्षमताओं के विकास के लिए, रेडियो परमाणु, रासायनिक, परमाणु और जूनोसिस सहित सभी विषयों से समस्त पणधारियों के कार्यबल की बैठकें आयेजित की गईं और सभी प्रवेश मार्गों (पीओई) पर आकस्मिक योजनाओं एवं क्षमता निर्माण विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीओई की आकस्मिकता योजनाओं को पणधारियों के साथ साझा किया गया है। एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात, वीआईपी खाद्य संबंधित कार्य को प्राधिकृत किया गया है और पीओई द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। एपीएचओ/पीएचओ/एबीक्यूसी के नामोदिष्ट अधिकारियों के रूप में पदनामों पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में विचार किया जा रहा है।

उपलब्धियां

- पीएच (आईएच) प्रभाग के लिए वेबसाइट विकसित की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और स्वास्थ्य के बारे में सूचना के साथ अब http://www.ihrpoe.co.पद पर पूर्ण रूप से कार्यशील है।
- पीत ज्वर के 5 नए प्रतिरक्षण केन्द्रों के परिचालनीकरण हेतु समन्वित और सुसाध्य प्रशिक्षण।
- पीत ज्वर के 5 नए प्रतिरक्षण केन्द्रों को नामोदिष्ट किया जा चुका है तथा उनके परिचालन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है– वड़ोदरा नगर निगम; एम्स, ऋषिकेश; केईएम अस्पताल और सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज, मुम्बई; वेनलॉक जिला अस्पताल, मंगलौर; तथा जिला अस्पताल, धारवाड़। अब देश में पीत ज्वर के प्रतिरक्षण के लिए कुल 48 केन्द्र मौजूद हैं।
- लगभग 100 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुमति दी जा चुकी है।
- यूएसए में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आवेदकों के लिए समन्वित और सुसाध्य ईएनसी।
- इस प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया
  - o एसईएआर के लिए 17–19 जुलाई, 2018 तक ढाका, बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य योजना (एनएपीएचएस) विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में उपमहानिदेशक (एमएच और आईएच) ने भाग लिया।
  - o आईएचआर राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 25–29 मार्च, 2019 तक आयोजित की गई क्षेत्रीय कार्यशाला में उप महानिदेशक (एमएच और आईएच) तथा उप अपर महानिदेशक (आईएच) ने हिस्सा लिया।
- निम्नलिखित दिशानिर्देश/ एडवाइजरी/एसओपी विकसित किए गए हैं
  - o जीका वायरस के प्रकोप के लिए दिशा–निर्देशों और परामर्शी की पुनः समीक्षा की गई थी तथा जयपुर में फैले जीका वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें लागू किया गया था।
- पीओई स्टाफ के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षणों में समन्वय किया गया और सुविधा प्रदान की गई हैं
  - o रेडिएशन आपात स्थितियों से निपटने के लिए आयोजना, तैयारी और प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के संबंध में चिकित्सा अधिकारियों के लिए 13–16 नवम्बर, 2018 तक आयोजित कार्यशाला में विभिन्न पीओई के चिकित्सा अधिकारियों तथा डीएडीजी (आएच) ने भाग लिया।
  - o सभी प्रवेश बिन्दुओं (पीओई के लिए गोवा में 25–26 जून, 2018 को अर्द्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
  - o एपीएचओ दिल्ली ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के ट्रामा एण्ड बर्न्स डिविजन के सहयोग से दिल्ली एयरपोर्ट के कार्मिकों के लिए प्राथमिकोपचार प्रशिक्षण का आयोजन किया।
  - o स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा एपीएच/पीएचओ/एलबीक्यूसी के अधिकारी विभिन्न हितधारकों के विविध सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता निर्माण कार्य कलापों में शामिल रहे हैं।
- इस प्रभाग द्वारा निर्वहन की गई अतिरिक्त जिम्मेदारियां:
  - o विरल रोग–प्रभाग के पदाधिकारियों ने विरल रोगों के उपचार पर राष्ट्रीय नीति को रूपरेखा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीति के कार्यान्वयन में लगे हैं।

10.4 समझौते/समझौता ज्ञापन (1 अप्रैल, 2018–31 मार्च, 2019)

(1) स्वास्थ्य परिचर्या और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समन्वय हेतु भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा तिमूर–लैस्ट की सरकार के बीच 07 अप्रैल, 2018 की एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समन्वय हेतु भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वीजीलैंड सरकार के बीच 09 अप्रैल, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में समन्वय हेतु भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तता किंगडम ऑफ बहरीन की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 15 जुलाई, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(4) स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उज्बेकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 01 अक्टूबर, 2018 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(5) स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इण्डोनेशिया गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 09 अक्टूबर, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(6) स्वास्थ्य परिचर्या तथा आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जापान सरकार के बीच 29 अक्टूबर, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

10.5 बैठकें/सम्मेलन (1 अप्रैल, 2018– 31 मार्च, 2019)

(1) नॉर्वे भारत भागीदारी पहल (एनईपीआई–III) के संबंध में चर्चा करने तथा उसे अद्यतन करने के लिए महामहिम श्री नील्स रगनार काम्सबाग, राजदूत नॉर्वे तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 19 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(2) स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डॉ. कृष बालब्जी, मुख्य निदेशक, नीति एवं कार्यनीति, वेस्टर्न केप सरकार, दक्षिण अफ्रीका तथा श्री अरुण सिंघल, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 26 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(3) स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति के लिए

भागीदार राष्ट्रों के लम्बित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए श्री अरुण सिंघल, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के बीच 08 जून, 2018 को नई दिल्ली में एक अन्तर–मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया;

(4) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए महामहिम श्री मकुट मटूर करिओम, अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, दक्षिण सूडान तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 15 जून, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(5) आगामी भारत–अमेरिका स्वास्थ्य संवाद पर चर्चा करने के लिए डा. प्रीत राजारमण, एचएचएस हैल्थ अटैची, संयुक्त राज्य एमेरिका दूतावास, नई दिल्ली तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 22 जून, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(6) महामहिम श्री असोक दास, ब्राजील में भारत के राजदूत तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 03 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(7) महामहिम श्री सुजान आर. चिनॉय, जापान में भारत के राजदूत तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 03 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(8) महामहिम श्री विश्वास सप्का, फिजी में भारत के उच्चायुक्त तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 03 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(9) पेरु में भारत के माननीय राजदूत तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 04 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(10) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए डॉ. सिल्वा लुटुक्यूटा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, अंगोला तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 05 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

माननीय केंन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अंगोला के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक

माननीय केंन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की लेसोथो के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक

(11) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए श्री कबि नकाकू, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लिसोथो तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 05 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(12) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए श्री कैनेथ आई. जस्टर, भारत में अमेरिकी के माननीय राजदूत तथा श्री जे.पी नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 12 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(13) स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मोरक्को के बीच 19 जुलाई, 2018 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में प्रथम संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूसी) की बैठक आयोजित की गई;

(14) श्री ऑस्कार करकैरा, रवांडा में भारत के नामोदिष्ट माननीय उच्चायुक्त तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 08 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(15) महामहिम श्री क्लास मोलिन, भारत में स्वीडन के राजदूत तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 13 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में बैठक हुई;

(16) भारत और मलाबी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में 21 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में प्रथम संयुक्त कार्य दल की बैठक आयोजित की गई;

(17) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के ले भीरत में जापान के राजदूत महामहिम श्री केजी हिरामत्सू तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 30 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(18) माननीय श्री ब्राडले रोनाल्ड हैजार्ड, स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान मंत्री, न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया तथा श्री जे.पी. नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 13 सितंबर, 2018 को नई

दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई;

(19) भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए 17 सितंबर, 2018 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में प्रथम संयुक्त कार्य दल की बैठक का आयोजन किया गया;

(20) डॉ. हिरोतो इजुमी, जापान के प्रधान मंत्री के विशेष सलाहकार तथा श्री जे.पी. नड्डा माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 17 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(21) स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए जाम्बिया के माननीय स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री डॉ. इसातो टोरे तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 01 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(22) भारत और स्वीडन के बीच स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में 12 अक्टूबर, 2018 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में 10वें संयुक्त कार्य दल की बैठक का आयोजन किया गया;

(23) महामहिम सुश्री हरिन्दर सिद्धू, भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 26 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(24) महामहिम श्री को स्मोसबैक कोल्पॉनबोव, स्वास्थ्य मंत्री, किरगिज गणराज्य तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 15 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(25) संयुक्त राष्ट्र अण्डर सैक्रेटरी जनरल तथा यूएनएफपीए के कार्यकारी निदेशक डॉ. नतालिया कानेम तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 11 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(26) 12–13 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई पीएमएनसीएच के पार्टनर्स फोरम की 2018 की बैठक से अलग, श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की:

क. महामहिम श्री अनास डोक्काली, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मोरक्को,

ख. महामहिम श्री हसन गाजी जदेह हाशमी, माननीय स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, ईरान,

ग. महामहिम श्री उपेन्द्र यादव, माननीय उप प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री, नेपाल,

घ. महामहिम डॉ. अबदुल्ला मौहम्मद दहान अल–जबरी, जन स्वास्थ्य और जनसंख्या उप–मंत्री, यमन,

ङ. महामहिम श्री अबदुल्ला अमीन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मालदीव,

च. महामहिम श्री मौल्विन मोरगोरसन जोसफ, माननीय स्वास्थ्य आरोग्य और पर्यावरण मंत्री, एन्टीगुआ र बारबुडा।

छ. श्री ओमर अब्दी, उप–कार्यकारी निदेशक, यूनिसेफ, तथा

ज. श्री अदनेन बेन हज आइसा, जनसंख्या और विकास में भागीदारी के कार्यकारी निदेशक।

(27) श्री संजय कुमार वर्मा, अपर सचिव (एडी), विदेश मंत्रालय (जापान में भारत के आगामी राजदूत के रूप में नियुक्त) तथा सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 20 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई;

(28) महामहिम सुश्री एग्निस बजिन, सोलिडारिटी और स्वास्थ्य मंत्री, फ्रांस तथा श्री जे.पी. नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 08 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया;

(29) 25–27 फरवरी, 2019 के दौरान आयोजित चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सम्मेलन से अलग, निम्नलिखित द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया:

i. महामहिम सुश्री लीना हैलंग्रेन, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य मंत्री, स्वीडन तथा श्री जे.पी. नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया।

ii. महामहिम सुश्री उलाना एन. सुप्रन, एम.डी. कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री, उक्रेन तथा श्री जे.पी.नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया।

iii. महामहिम डॉ. शाह माहिर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, मालदीव तथा श्री जे.पी. नड्डा, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।

iv. श्री एरिक गॉरिटसन, स्वास्थ्य, कल्याण और स्पोर्ट्स मंत्रालय नीदरलैंड के महा सचिव तथा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 25 फरवरी, 2019 में नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।

10.6 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुमति

भारत में स्वास्थ्य से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ष 2018–19 में संगठनों/संस्थानों को अनुमति देने हेतु 205 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

10.7 आवश्यकता प्रमाण पत्र (एसओएन) और आपवादिक आवश्यकता प्रमाण पत्र (एनसी)

संयुक्त राज्य अमेरिका में जे–1 वीजा पर मेडिकल स्पेशियलिटिज/सुपर स्पेशियलिटिज में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण करने के लिए वर्ष 2018–19 में स्टेटमेंट ऑफ नीड (एसओएन) जारी करने के लिए 1261 आवेदनों तथा एक्सेप्शनल नीड सर्टिफिकेट (ईएनसी) जारी करने के लिए 27 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

10.8 अध्येतावृत्ति/सम्मेलन के लिए विदेश दौरा

वर्ष 2018–19 के दौरान 165 चिकित्सा कार्मिकों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी आदि में भाग लेने की अनुमति दी गई। इनमें 10 चिकित्सा कार्मिक सीएचएस संवर्ग से शामिल थे, जिन्हें अन्य देशों में चिकित्सा और शल्यक्रिया के क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत होने तथा अपने समकक्षों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने हेतु विदेश में सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सीएचएस सहायता योजना के तहत अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।